कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर-482001
फोन : 91.761.2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्र0 / डी0एम0 / 500 जबलपुर दिनांक 21-01-21

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
म0प्र0 अर्बन डेव्हलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड,
737 अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर म0प्र0

विषय :- जबलपुर जिले में मध्यप्रदेश शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम के तहत् समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.24 हे0 वन भूमि म0प्र0 अर्बन डेव्हलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड जबलपुर का उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/38908/2019)

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), रातपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 987 / 2021 / 10-11 / 293 दिनांक 19 / 01 / 2021.

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि वन परिक्षेत्र जिलौरा के अन्तर्गत बीट मझौली कक्ष क्रमांक ओ-395(नया) ओ-390(पुराना) में 0.24 हे0 क्षेत्र में कटंगी से मझौली मार्ग के किनारे भूमिगत पाईप लाईन डाली जाना है। जिसमें निम्नानुसार 0.24 हे0 वनभूमि प्रस्तावित की गई है :-

| परिक्षेत्र | कक्ष क्रमांक | लंबाई | चौड़ाई मी. | प्रभावित वन भूमि हे. में |
|---|---|---|---|---|
| जबलपुर | O-395(New)<br>O-390(Old) | 1915 | 1.25 | 0.24 हे0 |

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्था को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रातपुड़ा भवन के पत्र क्रमांक / एफ-11 / 2017 / 10-11 / 2586 दिनांक 01 / 09 / 2017, पत्र क्र. / एफ-5 / 2018 / 10-11 / 4071 दिनांक 31 / 12/2018 एवं पत्र क्रमांक / एफ-5 / 987 / 2021 / 10-11 / 293 दिनांक 19 / 01 / 2021 के द्वारा जारी निर्देश के अन्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार शर्त के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृत पाईप लाईन, वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत् की जावेगी। राईट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
3. वन भूमि पर पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 01 मीटर से ज्यादा चौड़ी एवं 02 मीटर से ज्यादा गहरी न हो।
4. आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि 1,25,200 / - रूपये ऑन लाईन ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की जावे।

| कक्ष क्रमांक | रकवा हे0 में | वन की ईको श्रेणी | वन का घनत्व | नेट प्रेजेन्ट वैल्यु प्रति हे0 (लाख में) | एन.पी.व्ही. जमा की जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| O-395(New)<br>O-390(Old) | 0.24 | Eco -III | 0.2 | 6.26 | 1,25,200/- |

5. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गयी खंती से निकाली गयी मिट्टी से किया जायेगा।
7. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।